संचिका सं0-सी0/सी0आई0मिस0-4015/2016................/

फैक्स/स्पीड पोस्ट

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार

सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी

कैमूर (भभुआ)

पटना, दिनांक-...............................

विषयः- जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को उनके पत्रांक-1558/सा0, दिनांक 02.11.2016 एवं उनके आदेश ज्ञापांक-1559/सा0, दिनांक 02.11.2016 के आलोक में दिनांक 02.02.2016 को साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा श्री फजलू रहमान, पिता-स्व0 रसूल मियां, ग्राम-सिकठी, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर के जलाए गए घर एवं सामानों की हुई क्षति के लिए अनुग्रह अनुदान स्वरूप उनके द्वारा याचित राशि कुल ₹ 30,000.00 (तीस हजार रू) मात्र की स्वीकृति एवं आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके पत्रांक-1558/सा0, दिनांक 02.11.2016 एवं आदेश ज्ञापांक-1559/सा0, दिनांक 02.11.2016 के आलोक में निम्नवत् राशि की स्वीकृति देते हुए आवंटित किया जाता है:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को पूर्व में आवंटित राशि।	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को वर्त्तमान में स्वीकृत एवं आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को इस मद में कुल आवंटित राशि।
शून्य	₹ 30,000.00 (तीस हजार रू) मात्र	₹ 30,000.00 (तीस हजार रू) मात्र

आदेशः- स्वीकृत।

2. उपर्युक्त राशि ₹ 30,000.00 (तीस हजार रू) मात्र बजट शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, मांग संख्या-22, उपशीर्ष -0004 दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत, विपत्र कोड सं0-एन 223560200004, विषय शीर्ष-31 02 अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

3. जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक-1558/सा0, दिनांक 02.11.2016 एवं आदेश ज्ञापांक-1559/सा0, दिनांक 02.11.2016 के आलोक में दिनांक 02.02.2016 को साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा श्री फजलू रहमान, पिता-स्व0 रसूल मियां, ग्राम-सिकठी, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर के जलाए गए घर एवं सामानों की हुई क्षति के लिए अनुग्रह अनुदान स्वरूप याचित राशि कुल ₹ 30,000.00 (तीस हजार रू) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है। इस राशि का किसी अन्य योजना के खर्च पर विचलन नहीं किया जाएगा।

SEC:C:MAHDRAFTS

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) होंगे एवं राशि की निकासी जिला कोषागार, कैमूर (भभुआ) से की जायेगी। वे राशि की निकासी के समय वित्त विभाग के परिपत्र सं0-4989/बी (2), दिनांक-16.05.2013 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

5. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसके अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) की होगी।

6. जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) यह सुनिश्चित कर लेंगे की उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान दिनांक 02.02.2016 की साम्प्रदायिक घटना में प्रभावित श्री फजलू रहमान, पिता-स्व0 रसूल मियां, ग्राम-सिकठी, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर की पहचान कर की गई है।

7. राशि का भुगतान केवल एकाउन्ट पेई चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही किया जायेगा। यदि प्रभावित व्यक्ति का बैंक खाता नहीं है, तो जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) भुगतान के पूर्व उनका बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे।

8. जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) का यह दायित्व होगा कि वे भुगतान की गई राशि का व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण-पत्र गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को ससमय यानि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

9. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं हो सके, तो उसका प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

26/12/16

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4015/2016 11889/पटना,दिनांक 27-12-16

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/12/16

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4015/2016 11889/पटना,दिनांक 27-12-16

स्पीड पोस्ट

फैक्स

प्रतिलिपिः- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कैमूर (भभुआ)/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

26/12/16

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4015/2016 11889/पटना,दिनांक 27-12-16

प्रतिलिपिः- उप सचिव, प्रशाखा-ए, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-ए, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण एवं आवश्यक कार्रवांई हेतु प्रेषित।

26/12/16

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4015/2016 11889/पटना,दिनांक 27-12-16

प्रतिलिपिः- आई0टी0प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/12/16

सरकार के विशेष सचिव

SEC:C:MAHDRAFTS